



वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून परिसर संस्थान

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान

ग्राम-आमबाग, टनकपुर (चम्पावत)- 262 309, मो०नं०- +91-9548302038

ईमेल - director@ittanakpur.ac.in वैबसाईट- www.ittanakpur.ac.in



पत्रांक संख्या- 870/ए०पी०जे०-आई०टी०टी०/2023-24

दिनांक 26/09/2023

अनुबन्ध आधार वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा प्रपत्र

(क) निविदा का आमंत्रण (Invitation to Bid)

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर जिला-चम्पावत है। इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म, जिनका पंजीयन सर्विस टैक्स के अन्तर्गत हो, वे निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट- www.ittanakpur.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ रु० 500/- का बैंक ड्राफ्ट (जो निदेशक, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर, उत्तराखण्ड के पक्ष में जारी हों) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा, इस कार्यालय में दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को सायं 4.00 बजे तक हाथ से/पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा तथा तकनीकी/वित्तीय निविदाएं उसी दिन 4.30 बजे सायं को खोली जायेगी।

निदेशक

(ख) निविदादाता को सामान्य निर्देश:-

वाहन का विवरण:

S.No.	Vehicle Type	Hiring Basis	Specifications
1	BOLERO NEO (AC)	Monthly	Model 2022 & Above
2	ERTIGA (AC)	Monthly	Model 2022 & Above
3	SCORPIO (AC)	Monthly	Model 2022 & Above

2. निविदा का मूल्य :

- (क) प्रविष्ट में संशोधन, यदि हो तो काट कर पुनः लिखकर पूर्ण हस्ताक्षर करके किया जा सकेगा। उपलेखन मान्य नहीं होगा।
- (ख) निविदा मूल्य में सभी प्रकार के शुल्क/टैक्स/लेवी जो सेवाओं पर देय होते हैं, सम्मिलित माने जायेंगे।
- (ग) सेवाकर पृथक से देय होगा जिसे पृथक से दर्शाया जायेगा।
- (घ) प्रस्तुत निविदा मूल्य पूरे अनुबन्ध की अवधि हेतु मानी जायेगी एवं इसमें किसी भी कारण से संशोधन नहीं किया जायेगा।
- (ङ) निविदा मूल्य भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. प्रत्येक निविदादाता केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक निविदा प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. निविदा की वैधता:

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर खुलने की तिथि से 30 दिनों हेतु वैध मानी जायेगी।

5. निविदा का मूल्यांकन :

- (क) विभाग उन सभी निविदाओं का मूल्यांकन करेगा जो इंगित शर्तों को पूरा करता हो तथा तकनीकी रूप से सफल घोषित किये गये हों-
- (ख) यथास्थान हस्ताक्षरित हों।
- (ग) निविदा की शर्तों एवं विशिष्टताओं को पूरा करते हों।

6. निविदा का मूल्यांकन प्रस्तर 1 में वर्णित प्रत्येक वाहनों का पृथक-पृथक किया जायेगा।

(क) यदि उक्त वाहनों की अलग-अलग फर्मों की दरें न्यूनतम है तो BALERO NEO (AC) वाहन की न्यूनतम दरें देने वाले निविदाकर्ता को वरीयता दी जायेगी ताकि फर्म से अन्य वाहनों के लिये दरों हेतु निगोसिएट किया जायेगा। असहमति की दशा में अन्य वाहनों हेतु न्यूनतम दर प्रदान करने वाले निविदाकर्ताओं से पृथक-पृथक अनुबन्ध किया जायेगा।

7. संविदा स्वीकृति :

7.1 विभाग ऐसे निविदादाता को अनुबन्ध हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा जिसकी निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हो एवं जिसके द्वारा न्यूनतम मूल्यांकित निविदा दरें दी गई हों।

- 7.2 उपरोक्त के बावजूद विभाग किसी भी समय निविदा की स्वीकृति से पूर्व बिना कारण बताए एक से अधिक निविदाओं को निरस्त करने के लिए अधिकृत है।
- 7.3 निविदाकर्ता, जिसकी निविदा स्वीकृति की गई है को विभाग द्वारा निविदा की वैधता की अवधि से पूर्व निविदा की स्वीकृति के विषय में सूचित किया जायेगा। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तें निविदा आदेश में सम्मिलित की जायेगी।
- 7.4 सफल निविदादाता को रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
8. किराये का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।
9. अनुबन्ध की अन्य शर्तें **संलग्न-1** में वर्णित हैं।
10. आप अपनी निविदा हाथ से अथवा पंजीकृत पोस्ट द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को सायं 04.00 बजे सायं तक निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदाएं उसी दिन 4.30 बजे सायं को खोली जायेंगी।

1. निविदा की शर्तें :-

2. आवश्यकतानुसार वाहनों को मासिक/दैनिक आधार पर अतिरिक्त रूप में योजित किया जा सकता है परन्तु भुगतान वास्तविक रूप में योजित वाहनों का ही किया जायेगा।
3. रात्रि विश्राम चार्ज (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक) रु0 150/- प्रति रात्रि पृथक से देय होगा जो संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।
4. आमंत्रित निविदा के क्रमांक 01 से क्रमांक 03 पर अंकित वाहनों का पंजीकरण माह जनवरी, 2022 से पूर्व का होने पर उनको अनुबन्धित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. यदि फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अनुबन्ध की समय सीमा पूर्व अनुबन्धित दरों पर बढ़ाये जाने के लिये विचार किया जा सकता है।
6. अनुबन्ध अवधि में चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म के बिल से रु0 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
7. वाहन की मरम्मत, बीमा तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी स्वामी की होगी तथा वाहन अन्दर एवं बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा। वाहन में सीट कवर, तौलिया आदि रखना अनिवार्य होगा।
8. फर्म का PAN संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है, इसके प्रमाण के रूप में स्व प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध कराये।
9. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।
10. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा-श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ई.एस.आई., मोटरयान अधिनियम आदि में विहित कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. अनुबंधित वाहन से दिन व रात्रि में कार्य लिया जा सकता है। अतिरिक्त चालक की आवश्यकता होने पर चालक उपलब्ध कराने का दायित्व फर्म/सेवादाता का होगा।
12. वाहन चालक के पास मोबाइल सुविधा होना अनिवार्य है जो 24 घंटा चालू हालत में रहेगा, जिससे चाहन चालक से संपर्क किया जा सके।
13. आपूर्ति की जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत ऑल इंडिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
14. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यावसायिक लाइसेंस धारक होना चाहिए तथा चालक को ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हष्ट-पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

15. अनुबंधित फर्म उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ उन्हीं वाहनों को संस्थान को उपलब्ध करवाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में हो तथा जिनका रोड टैक्स, फिटनैस एवं बीमा आदि का भुगतान किया गया है। यदि इनके अभाव में आर.टी.ओ. द्वारा वाहन का चालान किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व ट्रेवल एजेंसी/संचालक/फर्म का होगा।
16. फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम कम से कम 02 वाहन पंजीकृत/अधिकृत पत्र होना अनिवार्य है जो वर्ष 2022 मॉडल से पुराने न हों। अनुबंध/पावर ऑफ एटर्नी द्वारा प्राप्त वाहनो से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायापत्रि संलग्न करें।
17. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर चयनित व्यक्ति/संस्था/फर्म को 01 घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा फर्म/सेवादाता के बिल से उतनी धनराशि की कटौती कर ली जाएगी, जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।
18. वाहन चालक के पास वाहन से सम्बन्धित आवश्यक मूल दस्तावेज 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
19. फर्म को वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली अलग-अलग Sealed लिफाफों में देनी होगी। दोनों Sealed लिफाफे तीसरे अन्य Sealed लिफाफे में रखकर कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। प्रत्येक लिफाफे पर निविदा का नाम एवं कार्यक्रम निदेशक को प्रेषण का विवरण दिया जाएगा।
20. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी।
21. उपरोक्त में ये यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं होती है तो निविदादाता की वित्तीय दरों सम्बन्धी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
22. निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राद्यौगिकी संस्थान, टनकपुर को होगा।
23. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय, टनकपुर मान्य होगा।
24. वाहन किराये के बिलों पर आयकर के नियमों के अनुसार आयकर कटौती की जाएगी।
25. वाहन को किराये पर लिये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में वाहन को बदला नहीं जाएगा।
26. निविदा प्रक्रिया में चयनित वाहन स्वामी/फर्म द्वारा अनुबन्ध की अवधि में उपरोक्त शर्तों एवं नियमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, जिससे कार्यक्रम के कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, की दशा में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार निदेशक, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राद्यौगिकी संस्थान, टनकपुर को होगा।

27. वाहन चालक को सेवाएं प्रदान करते समय निदेशक, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राद्यौगिकी संस्थान, टनकपुर कार्यालय में स्वच्छ पोशाक में सेवायें देनी होंगी। सेवा उपलब्ध कराते समय वाहन चालक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का उपभोग नहीं करेगा तथा अधिकारी को नियत समय पर वाहन सहित उपस्थिति देगा।
28. यदि वाहन चालक द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है और इससे संबंधी शिकायत कार्यालय को दी जाती है तो उक्त वाहन की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

Sign of Bidder



वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून परिसर संस्थान

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान

ग्राम-आमबाग, टनकपुर (वम्पावत)- 262 309, मो०नं०- +91-9548302038

ईमेल - director@ittanakpur.ac.in वैबसाईट- www.ittanakpur.ac.in



पत्रांक संख्या-870/ए०पी०जे०-आई०टी०टी०/2023-24

दिनांक 26/09/2023

(वर्ष 2023-24 के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा फार्म प्रपत्र)

निविदा फार्म का मूल्य
रु० 500/-

(Technical Bid)

1. फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि : 10 अक्टूबर 2023 को सायं 04.00 बजे।
2. निविदा खोलने की तिथि: 10 अक्टूबर 2023, सायं 4:30 बजे।
3. निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान: डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राद्यौगिकी संस्थान, टनकपुर
4. निविदा/फर्म का नाम :
5. पिता का नाम :
6. स्थायी निवास तथा पता :
7. राज्य वाणिज्यकर पंजीयन संख्या :
8. वाहन की संख्या व उसके रजिस्ट्रेशन नं. (जिनका स्वामित्व निविदादाता/फर्म का हो) के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, फिटनेस की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है।
 - 1.-.....
 - 2.-.....
 - 3.-.....
 - 4.-.....
 - 5.-.....
 - 6.-.....
9. PAN. No----- (स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है)
10. Central Excise service Tax Registration No-.....तदैव
निविदादाता के हस्ताक्षर :.....
प्रतिनिधि का नाम :.....
दूरभाष संख्या :.....
मोबाइल नंबर :.....

FORMAT OF TENDER

(Financial Bid)

S.No.	Vehicle Type	Specification	Monthly Basis	
			Hire Charge (Rs.)	Mileage Km/Ltr.
1	BOLERO NEO (AC)	Model 2022 & Above		
2	ERTIGA (AC)	Model 2022 & Above		
3	SCORPIO (AC)	Model 2022 & Above		

Note: Rates shall be mentioned in words and figures both. Fuel will be provided by the Institute if vehicle is hired on monthly basis.

Signature and Seal of Supplier



वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून परिसर संस्थान

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान

ग्राम-आमबाग, टनकपुर (तम्पावत)- 262 309, मो०नं०- +91-9548302038

ईमेल - director@ittanakpur.ac.in वैबसाईट- www.ittanakpur.ac.in



पत्रांक संख्या- 870/ए०पी०जे०-आई०टी०टी०/2023-24

दिनांक 26/09/2023

अनुबन्ध आधार वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक सूचना

इस कार्यालय को मासिक किराये के आधार पर छोटे वाहनों की वाहन चालक सहित आवश्यकता है। फर्मों से मुहरबन्द कोटेशन दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिन सायं 4.30 बजे अद्योहस्ताक्षरी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में खोली जायेगी। कोटेशन फार्म व अन्य विवरण संस्थान की वैब साइट www.ittanakpur.ac.in पर दिया गया है।

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. समस्त नोटिस बोर्ड
2. संस्थान की वैबसाईट